समक्ष माननीय सदस्य महोदय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा.

Rs-30/

R5435-II/16

1- रामसजीवन यादव तनय स्व0 दशरथ यादव उम्र 65 साल,

2- ददनिया उर्फ ददानी यादव तनय स्व0 दशरथ यादव उम्र 50 साल,

3- बाबूलाल यादव तनय स्व0 बोड़ई यादव उम्र 50 साल,

4- लल्लू यादव तनय स्व0 बोड़ई यादव उम्र 40 साल,

5- अवधेश यादव तनय स्व0 बृजवासी यादव उम्र 55 साल,

6- मुन्ना यादव तनय स्व0 बृजवासी यादव उम्र 45 साल,

7- लल्लू यादव तनय स्व0 बृजवासी यादव उम्र 42 साल,

8- शंकर यादव तनय स्व0 गलबलिया उर्फ गलवाली यादव उम्र 35 साल,

---- सभी निवासी ग्राम मड़रहा तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0 ------------ आवेदक गण ।

बनाम

अर्जुन यादव तनय स्व0 दुलारे यादव साकिन मड़रहा तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0 ---------- अनावेदक ।

अधिवक्ता श्री जीतेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत 27-9-16

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश व पुष्टिकरण सीमांकन कार्यवाही राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0 दिनांक 30-07-16 जरिए प्र0क्र0 4।अ।2/2015-16 बाबत भूमि खसरा नं0 16/4 रकबा 1-525है0 स्थित ग्राम मड़रहा ज0नं0 464 प0ह0 बुसौल तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0 ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 ।

मान्यवर,

निगरानी याचिका के आधार निम्नलिखित है :-

1- यहकि राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया द्वारा दिनांक 30-07-16 को की गई सीमांकन कार्यवाही विधि व प्रक्रिया के खिलाफ होने से

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 5435—दो/16 जिला — रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6—02—17	आवेदक अभिभाषक श्री जीतेन्द्र सिंह को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदकगण द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण कमांक 41/अ—12/15—16 में पारित आदेश दिनांक 30—7—16 के विरूद्ध म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2— आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिससे प्रकट होता है कि अनावेदक द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसपर राजस्व निरीक्षक द्वारा सरहदी कास्ताकारों को सूचना जारी करने के उपरांत सीमांकन आदेश पारित किया है। आवेदकगण के सूचना पत्र एवं स्थाल पंचनामा पर हस्ताक्षर अंगूठा निशानी अंकित है। स्पष्ट है कि आवेदकगण को उक्त सीमांकन की जानकारी थी तथा उनकी उपस्थिति में सीमांकन कार्यवाही की गई है। जहां तक आवेदकगण द्वारा एकपक्षीय रूप से बंटवारा आदेश होने के पश्चात नक्शा तरर्मीम कराने के तर्क का प्रश्न है आवेदकगण उक्त आदेशों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है। बटवारा एवं नक्शा तरर्मीम में	

जिला – रीवा

प्रकरण कमांक निग0 5435–दो/16

पारित आदेशों को सीमांकन में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत सरहदी कास्तकारों को सूचना देने के उपरांत सीमांकन आदेश पारित किया जिसमें प्रथमदृष्टया कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

3– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण कमांक 41/अ–12/15–16 में पारित आदेश दिनांक 30–7–16 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य